सॉफ्टवेयर के मामले में तकनीकी जनशक्ति के स्थानांतरण पर धारा 10क/10कक

के तहत कटौती की अनुमति पर स्पष्टीकरण

परिपत्र संख्या 14/2014 [एफ.सं.178/84/2012-आईटीए.I], दिनांक 8-10-2014

सीबीडीटी ने 18 जुलाई, 2014 को परिपत्र संख्या 12/2014 जारी कर स्पष्ट किया था कि कारोबार शुरू होने के पहले वर्ष में किसी मौजूदा इकाई से नई एसईजेड इकाई में मौजूदा तकनीकी जनशक्ति का स्थानांतरण या पुनर्नियोजन मात्र मौजूदा कारोबार का विभाजन या पुनर्निर्माण नहीं माना जाएगा, बशर्ते इस प्रकार स्थानांतरित तकनीकी जनशक्ति की संख्या नई इकाई में दिए गए वर्ष में किसी भी समय सॉफ्टवेयर विकास में वास्तव में लगी कुल तकनीकी जनशक्ति के 20 प्रतिशत से अधिक न हो।

2. ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि 20% की उपरोक्त सीमा अपर्याप्त और प्रतिबंधात्मक है क्योंकि यह उत्पाद की गुणवत्ता और वितरण समय-सीमा के संदर्भ में वैश्विक बाजार में भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब सॉफ्टवेयर विकास के लिए अत्यधिक कुशल और अनुभवी जनशक्ति तैनात की जाए। इसलिए, रंगाचारी समिति की सिफारिश के अनुरूप 20% की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है, जिसका गठन आईटी क्षेत्र और विकास केंद्रों के कराधान की समीक्षा के लिए किया गया था।

3. बोर्ड द्वारा मामले की पुनः जाँच की गई है। 18 जुलाई, 2014 के परिपत्र संख्या 12/2014 के अधिक्रमण में, अब यह निर्णय लिया गया है कि व्यवसाय प्रारंभ होने के पहले वर्ष में, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित किसी नई इकाई में मौजूदा इकाई(यों) से तकनीकी जनशक्ति का स्थानांतरण या पुनर्नियोजन, किसी मौजूदा व्यवसाय के विभाजन या पुनर्निर्माण के रूप में नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि वित्तीय वर्ष के अंत तक इस प्रकार स्थानांतरित तकनीकी जनशक्ति की संख्या नई इकाई में सॉफ्टवेयर या आईटी-सक्षम उत्पादों के विकास में वास्तव में कार्यरत कुल तकनीकी जनशक्ति के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

4. इसके अतिरिक्त, वैकल्पिक रूप से, यदि करदाता (उद्यम) यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि करदाता (उद्यम) की सभी इकाइयों में नए तकनीकी जनशक्ति का शुद्ध योग कम से कम उस संख्या के बराबर है जो पिछले वर्ष के दौरान नई एसईजेड इकाई की कुल तकनीकी जनशक्ति के 50% का प्रतिनिधित्व करती है, तो धारा 10ए/10एए के तहत कटौती से इनकार नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि अन्य निर्धारित शर्तें भी पूरी हों।

5. स्पष्टता के लिए, यह कहा गया है कि करदाता के पास ऊपर पैरा 3 और 4 में दिए गए दो विकल्पों में से किसी एक का अनुपालन करने का विकल्प होगा।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह परिपत्र केवल उन करदाताओं के मामले में लागू होगा जो अधिनियम की धारा 10**क** या धारा 10**ककक** के तहत कटौती के लिए पात्र एसईजेड इकाइयों में सॉफ्टवेयर के विकास या आईटी सक्षम सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए हैं।

7. यह परिपत्र उन करदाताओं पर लागू नहीं होगा जो पहले ही पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा, ऐसे मामलों में विभाग द्वारा कोई अपील दायर नहीं की जाएगी जहां इस परिपत्र के अनुरूप अपीलीय प्राधिकारी द्वारा मामले का निर्णय लिया गया हो।

■■